09/06/25 अधिवक्ताओं द्वारा वादी द्वारा जारी अधिवक्ता प्रतिपत्र ग्रहण कर दावा वापिस लेने का निवेदन किया। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर पश्चात्वर्ती पेशी में ली गई वादी द्वारा स्वयं द्वारा आगे आपत्ति पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहता की रिपोर्ट करते हुए हस्ताक्षर अंकित किये वादिनी पहचान वादी अधिवक्ता की मनोज मण्डा द्वारा की गई। चूंकि वादी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः आ. 2023/07 अन्तर्गत जसवन्त सिंह बनाम अनपिंद्र सिंह अन्य बनाम स्थगन पर खारिज किया जाता है। पश्चात्वर्ती नोटिस हो पक्षकारों द्वारा कार्य की जाकर निर्णय की प्रतियों के याचिका है।

मैं आगे कार्यवाही नहीं चाहता

जसवंत सिंह

9.6.25